न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 74/12 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2012/00143

उनवान

1. वासदेव पुत्र नारायन सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नौनेरा पृथ्वी सिंह तहसील बसेडी(फौत)
   1/1. दिलीप कुमार } पुत्रगण वासदेव जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नौनेरा पृथ्वी सिंह तहसील
   1/2. राजेश कुमार } बसेडी जिला धौलपुर।
2. ओमप्रकाश पुत्र नारायन सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नौनेरा पृथ्वी सिंह तहसील बसेडी (फौत)
   2/1. बृजेश कुमार } पुत्रगण ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नौनेरा पृथ्वी सिंह तह0
   2/2. इन्द्रेश कुमार } बसेडी ।
   2/3. नरेश कुमार }
3. विधावती पत्नि कप्तान सिंह } निवासी ग्राम नौनेरा पृथ्वी सिंह तहसील बसेडी, धौलपुर।
4. बनवारी लाल } पुत्र जतन सिंह
5. सुभाष चन्द्र }

.........................अपीलांट।

बनाम

1. भैंवरलाल उर्फ भैंवर सिंह पुत्र भोला जाति कुम्हार निवासी ग्राम नौनेरा पृथ्वी सिंह तहसील बसेडी।
2. लक्ष्मीनारायन पुत्र रामभरोसी जाति कुम्हार निवासी ग्राम नौनेरा पृथ्वी सिंह तहसील बसेडी।
3. कप्तान सिंह पुत्र रामभरोसी (फौत)
   3/1. बैजन्ती विधवा कप्तान } जाति कुम्हार निवासी ग्राम नौनेरा पृथ्वी सिंह तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
   3/2. मनोज } पिसरान नाबालिग कप्तान
   3/3. रेखा }
   3/4. खुश्बू }
   3/5. ललिता }
4. तारा पुत्र रामभरोसी
5. बुद्धो वेवा रामभरोसी
6. सुखराम पुत्री मुरली
7. सुरेन्द्र सिंह पुत्र कप्तान सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नौनेरा पृथ्वी सिंह तहसील बसेडी।
8. मुरारी } पुत्रगण रामजीलाल जाति कुशवाह नि0 ग्राम नौनेरा पृथ्वी सिंह तह0 बसेडी।
9. रमेश }
10. अनार सिंह }
11. ज्ञानगिरी } पुत्रगण बाबूगिरी जाति गुसाई नि0 ग्राम पीपरी पुरा तहसील बसेडी।
12. विशम्भर गिरी }

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी वहैसियत भू–स्वामी।

.... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, बसेडी दिनांक 12.08.2011 उनवानी भॅवरलाल बनाम रामभरोसी मु0न0 68/2003

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दिलीप शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सुखराम सिंह परमार उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 17.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के आदेश दिनांक 12.08.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम नौनेरा पृथ्वी सिंह के खातेदार कृषक रामभरोसी पुत्र मुरली 1/2 हिस्से का तथा वादी एवं सुखराम पुत्र भोला 1/2 भाग के थे। रामभरोसी ने अपने 1/2 भाग में से खसरा नम्बर 1070, 1094, 800 का प्रतिवादी संख्या 04, 05, 06 को जरिये वयनामा विक्रय कर दिया। सुखराम पुत्र भोला ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 में से खसरा नम्बर 1079, 1080, 1081, 1082, 1082/1656, 1093, 1095 का प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये वयनामा विक्रय कर दिया। वादी ने अपने हिस्से 1/4 में से खसरा नम्बर 1070, 1093, 1094, 1095 का प्रतिवादी संख्या 3 को विक्रय कर दिया। प्रतिवादी संख्या 02 ने खाता संख्या 180 में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 विक्रय करने पर राजस्व अभिलेख में उनके नाम अंकन हो गया। अतः वादी खाता संख्या 179 के खसरा नम्बर 1070, 1093 लगायत 1095 को छोडकर शेष खसरा नम्बरान में 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार है। खाता संख्या 180 के खसरा नम्बर 1091, 1092, 1096, 1097 में वादी 1/4 व प्रतिवादी संख्या 01 1/2 भाग का व प्रतिवादी संख्या 7, 8 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। अन्त में इसी प्रकार डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करने का अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण करते समय यह नहीं देखा कि विवादित आराजी के कितने सहखातेदार है एंव सभी सहखातेदारो को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है या नहीं। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी को रैस्पो0 से क्रय किया है एवं विवादित आराजी में उनके हित व अधिकार निहित हैं। बिना सभी सहखातेदारो को पक्षकार बनाये अपीलाधीन आदेश पारित हुआ है। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में पक्षकारो के मध्य पूर्व में राजीनामा भी हो गया है परन्तु पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण तस्दीक नहीं हो सका है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपीलाधीन आदेश को खारिज करते हुये, प्रकरण को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने में सहमति जाहिर की गयी।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट ने विवादित आराजी रैस्पो0 से जरिये वयनामा क्रय की है। इस प्रकार विवादित आराजी में उनका हित निहित है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 ने उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। दौराने बहस उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा प्रकरण को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने की सहमति व्यक्त की गयी है। दोनों पक्षो के अभिभाषकगणो के हस्ताक्षर आदेशिका पर कराये गये। अतः हम उभयपक्ष के अभिभाषकगणो की सहमति अनुसार प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय दिनांक 12.08.2011 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा जोडते हुये एवं उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.11.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 17.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर